

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी :::: सत्यनारायण सैन (नायब तहसीलदार)

मिसल नं.

60 / 2022

सरकार

बनाम्

नरेश पुत्र ईश्वर, जाति-जाट, निवासी-निवासी-
सेही कलां

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 15.07.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल नरेश पुत्र ईश्वर, जाति-जाट, निवासी-सेही कलां, द्वारा रोही मौजा सेही कलां की भूमि ख.नं. 152 के कुल रकबा 4.50 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.02 है० पर पक्का मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। गैर सायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 8 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ़तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा.से.सं. 4 के पृष्ठ सं. 8
पृ. 22-23 में स्वदे. 8 कायम कि.
राजस्व लेखाकार

(सत्यनारायण सैन)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़